आर.पी.एस.सी. में 1 जुलाई से ऑनलाइन ली जाएगी आर.टी.आई. की प्रथम अपील

अजमेर, (कासं)। आर.पी.एस.सी. द्वारा 1 जुलाई से आरटीआई के तहत प्रथम अपील ऑनलाइन माध्यम से ही ली जाएगी। आयोग सचिव ने बताया कि आयोग द्वारा 1 जनवरी 2024 से केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आरटीआई आवेदन स्वीकार किए किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 30 जून के पश्चात् प्रथम अपील भी ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएगी। उक्त दिनांक के बाद ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त होने वाली प्रथम अपील पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। अत: 1 जुलाई 2024 से प्रथम अपील भी ऑनलाइन माध्यम से ही प्रस्तुत करें।

100 दिवसीय कार्य योजना के निर्धारित लक्ष्यों की प्रगति सुनिश्चित करें अधिकारी : जिला कलक्टर

भीलवाड़ा, (निसं)। जिला कलक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न विभागों की 100 दिवसीय कार्ययोजना की प्रगति, संपर्क पोर्टल पर विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों, फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

जिला कलक्टर ने बैठक में उद्यानिकी विभाग के उपनिदेशक से किसानों को फव्वारों पर दी जाने वाले अनुदान योजना के संबंध में चर्चा की और योजना से संबधित लंबित प्रकरणों के जल्द निस्तारण की बात कही। उन्होंने जिला अल्पसंख्यक अधिकारी से 100 दिन से कार्य योजना की प्रगति की जानकारी ली साथ ही अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति तथा ऋण आवेदन की प्रगति की भी समीक्षा की। मेहता ने पशुपालन विभाग के अधिकारी से किसान क्रेडिट कार्ड योजना, राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना, पशुओं के टीकाकरण के संबंध में चर्चा की।

जिला कलक्टर ने रोजगार विभाग के उपनिदेशक को निर्देश दिए कि जिले में बेरोजगार युवकों के लिए जिले के विभिन्न औद्योगिक संस्थानों को साथ लेकर रोजगार मेले का आयोजन किया जाए। साथ ही उन्होंने स्किल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट में कैरियर गाइडेंस और वोकेशनल ट्रेनिंग करवाने के संबंध में दिशा निर्देश देते हुए कहा कि अगर बच्चों को अच्छी गाइडेंस मिलेगी तो उन्हे

जिला कलक्टर नमित मेहता ने समीक्षा बैठक ली।

अच्छा करियर बनाने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं ई-श्रम योजना की प्रगति में लाए तेजी - जिला कलक्टर ने उप श्रम आयुक्त को 100 दिवसीय कार्ययोजना के तहत भीलवाड़ा जिले में कार्यरत पात्र असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं ई-श्रम योजना में पंजीयन एवं नामांकन हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संबंधित विभागों से समन्वय कर तेजी लाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार वन विभाग के अधिकारी को जिले में वृक्षारोपण और आगामी वर्षा ऋतु को लेकर पौध तैयारी की समीक्षा की।

जिला कलक्टर ने संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरण की समीक्षा करते हुए लेवल प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय लेवल पर दर्ज प्रकरणों के विस्तार से समीक्षा की एवं अधिकारियों को निर्देश दिए की तत्काल प्रभाव से प्रकरणों का निस्तारण किया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 30 दिन से ऊपर संपर्क पोर्टल पर कोई प्रकरण लंबित न रहें और परिवादों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण किया जाए एवं प्रार्थी को संतुष्टिजनक जवाब दिया जाए। साथ ही कहा कि संपर्क पोर्टल पर किए गए निस्तारण की समीक्षा की जाएगी और अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी।

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर वंदना खोरवाल, उपखंड अधिकारी आव्हाद नि. सोमनाथ, संयुक्त निदेशक कृषि विभाग, इंद्र सिंह संचेती, सहायक निदेशक उद्यानिकी, राकेश माला, उप निदेशक रोजगार विभाग, मुकेश, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी आजाद खान पठान एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहें।

कुण्ड का लाम्बा के विद्यालय में शिक्षकों सहित विभिन्न सुविधाओं की दरकार

मसूदा, (निसं)। मसूदा पंचायत समिति क्षेत्र की शेरगढ़ ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम कुंड का लाम्बा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को शिक्षकों सहित विभिन्न सुविधाओं से तरस रहा हैं। शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु जाना पड़ रहा हैं तो वहीं विडम्बना यह हैं कि बालिकाओं को बीच मे ही पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है ग्रामवासियों ने क्षेत्रीय विधायक को बताए विद्यालय के हालात के अनुसार सन 1968 में उच्च प्राथमिक , 2013 में माध्यमिक व 2022 में उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत विद्यालय में शिक्षकों की कमी के साथ ही विद्यालय का भवन जो 1968 में उच्च प्राथमिक हुआ तब से ही उसी भवन में चल रहा है जिसमें कुल 13 कमरे हैं जिसमें से 7 कक्षा कक्ष के रूप में तथा बाकी अन्य छोटे कक्ष अन्य प्रयोग में है। कुल कक्षाएं 12 हैं जिसमें से 5 कक्षाओं के लिये कक्षा कक्ष नहीं होने से सर्दी-गर्मी और वर्षा ऋतु में बच्चों को बाहर ही बैठना पड़ता है।इस विद्यालय में नियमानुसार ना तो कम्प्यूटर कक्ष है, ना भूगोल प्रायोगिक कक्ष है। एक ही कक्ष में आई.सी.टी. रूम और कम्प्यूटर कक्ष का उपयोग एक छोटे से कमरे में लेना पड़ रहा है जिसमें एक कक्षा के विद्यार्थी भी एक साथ नहीं बैठ पाते हैं। साथ ही उच्च माध्यमिक कमोन्नत होने के बाद कक्षा 11 कक्षा 12 को वैकल्पिक विषय पढ़ाने के लिये कोई व्याख्याता स्वीकृत नहीं है।

अध्यापकों की कमी की वजह से स्थानीय विद्यालय से छात्रों को दूसरी जगह अध्ययन हेतु जाना पड़ता है। हालाँकि क्षेत्रीय विधायक वीरेन्द्र सिंह कानावत ने ग्रामवासियों की इस माँग पर गम्भीरता से गौर करते हुए शिक्षा विभाग में स्थान्तरण से रोक हटते ही शिक्षकों की नियुक्ति व अन्य कार्यों को पूरा करवाने का आश्वासन दिया हैं।

सोशल मीडिया पोस्ट ने करवाई पुलिस और प्रशाशन की परेड

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के मांडल में 145 की रिसविरी में चल रहे एक धार्मिक स्थली को लेकर विगत कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर धार्मिक स्थली को खोलने के आए मेसेज के बाद 12 फरवरी को कस्बे को छावनी में तब्दील कर दिया गया। 13 थानों के जाप्ते के साथ 308 पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं, वही 6 अधिकारी मौके पर नजर बनाए हुए हैं। वही मांडल विधायक उदय लाल भडाणा ने एक पोस्ट कर न्याय प्रक्रिया पर विश्वाश जताने की अपील करते हुए समाज बंधुओ से मांडल में एकत्रित नही होने का आव्हान किया हैं ।

ये हे पूरा मामला मांडल कस्बे की सब्जी मंडी मोहरम की मस्जिद के पास एक धार्मिक स्थली है जिस पर दोनो समुदाय द्वारा अपना अपना धार्मिक स्थल होने का दावा किया जा रहा था जिसके चलते उपखंड न्यायालय ने कस्बे में शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसे बीते लगभग 50 वर्षो से अपनी देख रेख में यथा स्थिति में रखा हुआ हैं इस धार्मिक स्थली को लेकर गुर्जर समाज द्वारा दावा किया जा रहा था की ये उनके आराध्य देव देवनारायण का मंदिर है वही मुस्लिम समुदाय द्वारा इसे मिठ्ठू शाह बाबा की दरगाह बताई जा रही थी।

बीते 22 मार्च 2022 को गोपाल बस्सी द्वारा विवादास्पद धर्म स्थली के ताले तोड दिए थे और सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए थे जिसको लेकर बड़ा बवाल मचा था लेकिन एक बार फिर सोशल मीडिया पर 12 फरवरी 2023 को मांडल चलो मंदिर खुलवाने के नाम से कुछ लोगो द्वारा पोस्ट जारी की गई थी जिसके चलते आज मांडल कस्बा पूरा छावनी में तब्दील हो गया कस्बे में आने वाले सभी मार्गो पर नाकाबंदी कर दी गई है।

जिला स्तरीय जन सुनवाई 15 को

शाहपुरा, (निसं)। जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की नियमित मासिक बैठक तथा संपर्क समाधान शिविर के अन्तर्गत जिला स्तरीय जनसुनवाई 15 फ़रवरी गुरुवार को प्रात: 11 बजे जिला कलेक्टरेट सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से आयोजित की जायेगी।जिला स्तरीय जनसुनवाई शिविर में संपर्क पोर्टल पर 06 माह से अधिक समयावधि के लंबित परिवादी के निस्तारण की समीक्षा की जाएगी।

विकास अधिकारी ने किया औचक निरीक्षण

मसूदा, (निसं)। मसूदा विकास अधिकारी मातादीन मीणा ने सोमवार को ग्राम पंचायत देवमगरी का औचक निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।विकास अधिकारी माता दिन मीणा ने ग्राम पंचायत देव मंगरी का औचक निरीक्षण किया है। आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान स्वच्छ भारत मिशन, पेंशन सत्यापन, नरेगा कार्य में आधार फीडिंग , प्रधानमंत्री आवास , विधायक एवं सांसद कोष के कार्यो की जानकारी ली गई । इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी ऊष्मा वर्मा, कनिष्ठ सहायक हाकम काठात, समाज सेवी सावर लाल गुर्जर, ग्रामीण रतन लाल, हर लाल, गिरधारी भी मोजूद थे।

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़ (अजमेर) राज.

क्रमांक /न.प.कि/भूमि/2024/617 दिनांक: 12-2-2024

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री सुरेन्द्र चौधरी पुत्र श्री रामप्रसाद चौधरी निवासी दिलिप कॉलोनी मदनगंज किशनगढ ने खाचां भूमि / भोगपडत के तहत् पट्टा चाहने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो की दिलिप कॉलोनी में जिसका कुल क्षेत्रफल 77.78 वर्गगज है जिसकी सीमाऐं निम्न प्रकार से है -

पूर्व में - 30' आम रास्ता पश्चिम में - भूखण्ड संख्या 17 व 18

उत्तर में - 20' आम रास्ता दक्षिण में - भूखण्ड संख्या 27 (स्वयं का मकान)

उक्त सीमा मध्य स्थित खाचां भूमि / भोगपडत के तहत् पट्टा जारि किये जाने में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो लिखित में सूचना प्रकाशन के 7 दिवस में प्रस्तुत मियाद किसी प्रकार की कोई आपत्ति / ऐतराज मान्य नहीं होगी । अत: सूचित रहे।

प्रभारी नगर परिषद, किशनगढ़

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक/नियमन/23-24/1462 दिनांक: 12/02/2024

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री जितेन्द्र मंगल पुत्र श्री सुरेशचन्द मंगल निवासी जोध सिंह कॉलोनी, तेजाजी के थान के पास, देलवाडा रोड, ब्यावर ने राजस्व ग्राम गढीथोरियान के खसरा नम्बर 53, 76 व 77 में स्थित ज्ञान विहार कॉलोनी के भूखण्ड संख्या 21 कुल क्षेत्रफल 200.00 वर्गगज भूमि के वाणिज्यिक फ्री होल्ड पट्टा विलेख प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 04.08.2023 के अनुसार एवं तकनीकी अधिकारियों की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को भूखण्ड संख्या 21 कुल क्षेत्रफल 200.00 वर्गगज के वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख बाबत् किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस के भीतर-भीतर अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष लिखित में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। अन्यथा बाद मियाद आपत्ति विचारणीय नहीं होगी।

सीमायें (साईट प्लान के अनुसार)

पूर्व- प्लाट नं. 41 पश्चिम- रोड 30 फीट

उत्तर - प्लाट नं. 22 दक्षिण - रोड सेन्टर से 40 फीट

आयुक्त नगर परिषद, ब्यावर

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक/नियमन/23-24/1457 दिनांक: 12/02/2024

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमति शकुन्तला हेडा पत्नि डॉ. राजाराम हेडा व श्रीमति वंदना माहेश्वरी पत्नि श्री विजय हेडा निवासी प्रतान नगर, ब्यावर ने राजस्व ग्राम गोविन्दपुरा के खसरा नम्बर 280 व 282 में स्थित श्री शंखेश्वर कॉलोनी के भूखण्ड संख्या 85 कुल क्षेत्रफल 238.33 वर्गगज भूमि का वाणिज्यिक फ्री होल्ड पट्टा विलेख प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 04.08.2023 के अनुसार प्रार्थी को भूखण्ड संख्या 85 कुल क्षेत्रफल 238.33 वर्गगज भूमि के वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख बाबत् किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस के भीतर-भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष लिखित में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। अन्यथा बाद मियाद आपत्ति विचारणीय नहीं होगी।

सीमायें (मौका रिपोर्ट के अनुसार)

पूर्व- प्लाट नं. 86 पश्चिम- रोड 30 फीट

उत्तर - प्लाट नं. 84 दक्षिण - रोड सेन्टर से 60 फीट

आयुक्त नगर परिषद, ब्यावर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की बकरा मण्डी योजना में आवसीय/व्यवसायिक भूखण्ड/दुकान सं. 36 क्षेत्रफल 16.66 वर्गगज के आवंटी श्री फखरूद्दीन कुरैशी पुत्र श्री वशीर मौहम्मद निवासी पुरानी बकरा मण्डी गढ़ घाटी आउट साईड देहली गेट अजमेर कि मृत्यु दिनांक 24.04.2021 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र और सजरा रिपोर्ट संलग्न कर मृतक के वारिस श्री फरदीन कुरैशी पुत्र फखरूद्दीन पुरानी बकरा मण्डी गढ़ घाटी आउट साईड देहली गेट अजमेर बहैसियत मुख्तयारखास 1. श्रीमती मरियमबानो पत्नि श्री स्व. श्री फखरूद्दीन, 2. श्री ऐजाज अहमद पुत्र फखरूद्दीन 3. अल्कमा बानो 4. शबाना बानो 5 मुस्कान बानो पुत्रियाँ स्व. श्री फखरूद्दीन द्वारा अपने सहहिस्सेदार श्री फरदीन कुरैशी पुत्र फखरूद्दीन पुरानी बकरा मण्डी गढ़ घाटी आउट साईड देहली गेट अजमेर के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत हक त्याग सं. 202403002100231 दिनांक 10.01.24 के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावें। उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदक के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक / नियमन /2023-24/1460 दिनांक: 12/02/2024

लोक सूचना

निम्नांकित खातेदारों ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर कृर्षिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात

क्र.सं.	आवेदक का नाम	ग्राम	खसरा नं.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1.	शकुन्तला आर. हेडा पत्नि डॉ. राजाराम हेडा हिस्सा पूर्ण जाति माहेश्वरी सा. प्रताप नगर गली नं. 05 ब्यावर खातेदार।	ठीकराना मेन्द्रातान	114	0.1295 हेक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (क) और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष के समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 12/2/2024 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी नगर परिषद, ब्यावर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन दक्षिण अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

क्रमांक: LU2012/ADA/2023-24/101073 दिनांक 12/02/2024

लोक सूचना

श्री SHRI RAJENDRA KUMAWAT पुत्र श्री SHRI LADHU RAM KUMAWAT जाति KUMAWAT निवासी KANCHRODA PHULERA, JAIPUR HAAL NIWASI KOTRA AJMER ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्य प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	माखुपुरा, अजमेर (अजमेर)	SHRI RAJENDRA KUMAWAR	2680, 3204/2679, 3205/2679 & 3202/2677	3700	0.37
				कुल	0.37

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकान पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 12/02/2024 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी, जोन दक्षिण अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

संशोधित विज्ञप्ति

खान संख्या 165/1 गुणावती रेंज मकराना जो की श्री मईनुदीन, मोहम्मद याकुब पुत्रगण श्री ताजु जी. गुलाम नबी, मंजूर अहमद, नूर हंसन पुत्रगण अब्दूल रजाक, शोकत अली, अब्दूल मजीद, मोहम्मद सलीम पुत्रगण श्री मोहम्मद ईस्माइल व अब्दूल गफूर, फकरूदीन, अब्दूल हमीद पुत्रगण मोहम्मद इब्राहीम निवासी मकराना तहसील मकराना जिला नागौर के पक्ष में स्वीकृत है।स्व0 श्री मईनुदीन पुत्र श्री ताजु जी निवासी मकराना का स्वर्गवास दिनांक 10.07.2017 को हो जाने पर क्वारी लाईसेंस में इनके स्थान पर इनके तीनों पुत्रों मोहम्मद अफजल, शब्बीर अहमद रियाजुदीन पुत्रगण स्व0 श्री मईनुदीन, इलियास, जावेद पुत्रगण स्व0 श्री जमील अहमद पौत्र स्व0 श्री मईनुदीन एंव फरान अहमद, इमरान अहमद सलमान अहमद मौहम्मद हुसैन पुत्रगण स्व0 श्री मुख्तयार अहमद पौत्र स्व0 श्री मईनुदीन के नाम से नामान्तरण किये जाने बाबत एक आवेदन पत्र दिनांक 11.08.2023 को कार्यालय में पेश किया गया था जिसकें संबध में दिनांक 21.08.2023 को विज्ञप्ति जारी की गई थी मृतक लाईसेंन्सी मईनुदीन के वारिसान नें पुन: एक संशोधित आवेदन पत्र दिनांक 02.02.2024 को प्रस्तुत किया जिसके अनुसार अब मृतक लाईसेंन्सी के पुत्र मुख्तयार अहमद के चारों पुत्रों फरान अहमद, इमरान अहमद, सलमान अहमद, व मो0 हुसैन के स्थान पर मुख्तार अहमद की पत्नि श्रीमति रिहाना के नाम नामान्तरण करवाना चाहते हैं। जिसके संबध मे पुन: स्व0 मईनुदीन की चारों पुत्रियों आबेदा, शहनाज बेगम, बाईसा, खैरून निशा ने अपने तीनों भाईयो मोहम्मद अफजल, शब्बीर अहमद रियाजुदीन पुत्रगण स्व0 श्री मईनुदीन के पक्ष में हक त्याग बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किये है इसी प्रकार स्व0 मईनुदीन के एक मृतक पुत्र जमील अहमद की छ: पुत्रियों नाजदा, तमना, फिरोजा, साजदा, सायबा, खुशबु ने अपने दोनो भाईयों ईलियास व जावेद के पक्ष में हक त्याग बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किये है तथा मृतक लाईसेंन्सी मईनुदीन के दूसरें मृतक पुत्र मुख्तयार अहमद के चारों पुत्रों फरान अहमद, इमरान अहमद सलमान अहमद मौहम्मद हुसैन व मुख्तयार अहमद की दोंनो पुत्रियों हुसना बानो व नगमा ने अपनी माता रिहाना पत्नी स्व0 श्री मुख्तयार अहमद के पक्ष में हक त्याग बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किये है। LACE अत: यदि किसी व्यक्ति को इस सम्बध में कोई एतराज हो तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 15 दिवस में खनि अभियन्ता मकराना को लिखित में आपत्ति प्रस्तुत करें। 15 दिवस में आपत्ति प्राप्त नही होने पर नामान्तरण के संबंध में अग्रीम कार्यवाही की जावेगी।

महेश प्रकाश पुरोहित खनिज अभियंता (मकराना)

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)

CIN : L65110TN2014PLC097792

पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031

फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण एवं ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के सैक्शन 13 (2) के तहत नोटिस

निम्न ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं ने नीचे वर्णित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का सिक्योर्ड ऋण (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) से लिया था। निम्नलिखित ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के ऋण उनकी अपनी-अपनी सम्पत्तियों के गिरवी रखने से सुरक्षित है। क्योंकि उन्होंने अपने-अपने ऋण एग्रीमेन्टस के नियम व शर्तों की पालना नहीं की है और अनियिमित हो गये है, उनके ऋणों को आरबीआई की गाइडलाइन्स के अनुसार एनपीए वग्रीकृत कर दिया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशियाँ उनके पृथक नोटिस में लिखी गयी है तथा और विशेष रूप से निम्न सूचि में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे का ब्याज भी लागू होगा तथा वह उनकी अलग-अलग तिथियों से समझौते की प्रभावी दर से वसूला जायेगा।

क्रम संख्या	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के नाम	सैक्शन 13(2) के नोटिस की तिथि	सैक्शन 13(2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि	सम्पत्ति का पता
1	93564693	गृह ऋण	1. श्री भागचन्द गुर्जर 2. श्री नाथू गुर्जर	26.01.2024	2,62,335.81/-	पट्टा नं.21, क्षेत्रफल 1953 वर्ग फिट, अर्थात 217 वर्गगज ग्राम चेनपुरिया, ग्राम पंचायत भोजरस, पंचायत समिति -हुरडा, जिला-भीलवाडा, राजस्थान का पूरा व प्रत्येक भाग, और सीमायें है- पूर्व-घासी पुत्र अम्बालाल गुर्जर, पश्चिम-नानू पुत्र सुन्डा गुर्जर, उत्तर-हरनाथ पुत्र सुखदेव जाट, दक्षिण-आम रास्ता
2	81645877	सम्पत्ति पर ऋण	1. भंवर लाल जांगिड 2. रतन लाल	20.01.2024	5,76,888.12/-	सम्पत्ति पट्टा नं.29, ग्राम-तनटोटी, ग्राम पंचायत-तनटोटी पंचायत समिति-सरवाड, जिला-अजमेर, राजस्थान-305627 का पूरा व प्रत्येक भाग, और सीमायें है- पूर्व-शिवराज/छोटू नायक का मकान, पश्चिम-आम रास्ता, उत्तर-गोपाल नायक/चन्द्रा का मकान, दक्षिण-रामा खाती/मिश्री का मकान

आपको एतद्द्वारा, इस प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर, ऊपर सूचि में दर्शायी राशियों को उनकी प्रथम तिथि से, उस पर लगे आगे के समझौते में ब्याज दर तथा अन्य खर्चों, चार्ज आदि सहित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि. (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को भुगतान करने को कहा जा रहा है, यदि ऐसा नहीं हुआ, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को, एसएआरएफएइएसआई एक्ट के सैक्शन 13(4) तथा सैक्शन 14 के तहत, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशि वसूल करने के लिये, गिरवी रखी सम्पत्तियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिये बाध्य होना पडेगा/इसके अलावा उक्त एक्ट के सैक्शन 13 (13) के तहत आप उक्त सम्पत्तियों को बिक्री/लीज अथवा किसी अन्य प्रकार से ट्रांसफर नहीं करने के लिये प्रतिबंधित है।

ह./-

दिनांक- 13.02.2024

स्थान- राजस्थान

प्राधिकृत अधिकारी

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)

CIN : L65110TN2014PLC097792

पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031

फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण एवं ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के सैक्शन 13 (2) के तहत नोटिस

निम्न ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं ने नीचे वर्णित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का सिक्योर्ड ऋण (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) से लिया था। निम्नलिखित ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के ऋण उनकी अपनी-अपनी सम्पत्तियों के गिरवी रखने से सुरक्षित है। क्योंकि उन्होंने अपने-अपने ऋण एग्रीमेन्टस के नियम व शर्तों की पालना नहीं की है और अनियिमित हो गये है, उनके ऋणों को आरबीआई की गाइडलाइन्स के अनुसार एनपीए वग्रीकृत कर दिया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशियाँ उनके पृथक नोटिस में लिखी गयी है तथा और विशेष रूप से निम्न सूचि में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे का ब्याज भी लागू होगा तथा वह उनकी अलग-अलग तिथियों से समझौते की प्रभावी दर से वसूला जायेगा।

क्रम संख्या	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के नाम	सैक्शन 13(2) के नोटिस की तिथि	सैक्शन 13(2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि	सम्पत्ति का पता
1	29889780	सम्पत्ति पर ऋण	1. छगनी सुखदेवा 2. सुखदेवा राम	20.01.2024	1,94,431.49	भूमि क्षेत्रफल 209.666 वर्गगज, पट्टा नं.56, मेघवालों का मोहल्ला, गाम-हुसैनपुरा, तहसील-लाडनू, जिला-नागौर (राज.), डीडवाना, राजस्थान-341303 का पूरा व प्रत्येक भाग, और सीमायें है- पूर्व- गनेडी रोड, आम रास्ता, पश्चिम-भगवाना राम, केशाराम एवं नोपा राम की भूमि, उत्तर-रामू राम की भूमि, दक्षिण-आम गुवाड एवं निकास

आपको एतद्द्वारा, इस प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर, ऊपर सूचि में दर्शायी राशियों को उनकी प्रथम तिथि से, उस पर लगे आगे के समझौते में ब्याज दर तथा अन्य खर्चों, चार्ज आदि सहित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि. (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को भुगतान करने को कहा जा रहा है, यदि ऐसा नहीं हुआ, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को, एसएआरएफएइएसआई एक्ट के सैक्शन 13(4) तथा सैक्शन 14 के तहत, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (